

रकबा बराबर अर्थात् 0.1834 है० प्रत्येक का शुद्धि किया जाने की अभिशंका की है।
प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व तहसीलदार बस्सी रिपोर्ट दिनांक 17.05.2024 का अवलोकन करने एवं प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन पश्चात् हम पाते हैं कि ग्राम कानड़वास खसरा नम्बर 30/2 व 303/20 की चौसाला जमाबन्दी सम्वत् 2067-2070 बनाते समय खाता संख्या 15 में कौशल्या देवी पत्नी कन्हैयालाल हिस्सा 10/29 जाति बागडा ब्राहमण सा०लुनियावास तहसील सांगानेर मूलीदेवी-पत्नी गोपाललाल जाति मीणा निवासी बूडथल हिस्सा 19/29 जाति का गलत अमल दर्ज सहवन होना स्पष्ट है। मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड खसरा नम्बर 30/2 व 303/20 का रकबा 0.1834 है० दुरुस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र प्रार्थीया अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम 1956 तहसीलदार बस्सी रिपोर्ट दिनांक 17.05.2025 के आधार पर स्वीकार किया जाता है कि ग्राम कानड़वास तहसील बस्सी खाता संख्या 17 भूमि खसरा नम्बर 303/30 का रकबा 0.1834 है० व खाता संख्या 94 खसरा नम्बर 30/2 का रकबा 0.1834 है० दुरुस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार बस्सी उक्तानुसार वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करें। तहसीलदार बस्सी को पालना हेतु निर्णय प्रति भिजवाई जावें।

यह निर्णय आज दिनांक 19.03.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति जमा लेख भंडार हो।



(ओम प्रकाश मीना R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी बस्सी
जिला जयपुर